

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 8/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 66(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 153/94-सीमा शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 जो सा.का.नि. 582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ (2) में “और ध्वनि अभिलेखन टेप” शब्दों के स्थान पर “ध्वनि अभिलेखन टेप, पोशाक और प्रौप्स” शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. 153/94-सीमा शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 43/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्या सा.का.नि. 778(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा संशोधित द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 8/2021-Customs

G.S.R. 66(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 153/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 582(E), dated the 13th July, 1994, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against Sl. No. 4, in column (2), for the words “and sound-recording tapes”, the words “, sound-recording tapes, costumes and props” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification was published *vide* notification number 153/94-Customs, dated the 13th July, 1994, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 582(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended *vide* notification number 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, *vide* number G.S.R. 778(E), dated the 30th June, 2017.